न्यायालय कलेक्टर बैतूल

राजस्व प्रकरण क्रमाक 12 अ / 59 (127)

वर्ष 2012–13

मध्य प्रदेश शासन

बनाम

सर्व साधारण

–: आदेश :–

(दिनांक 2/4/2013 को पारित किया गया)

तहसीलदार मुलताई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के माध्यम से तहसील मुलताई पटवारी हल्का नं0 49 के ग्राम डहुआ के टोला डहुआढाना को पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर प्रकरण आरंभ किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में दर्शाया गया कि–

1– ग्राम डहुआ से डहुआढाना की दूरी 04 कि0मी0 है।

2– डहुआढाना की आबादी 480 है।

3– प्रस्तावित ग्राम डहुआढाना में प्रस्ताव अनुसार राजस्व ग्राम बनाये जाने पर ग्राम के खाते का क्षेत्रफल 387.419 हैक्टर तथा गैर खाते का क्षेत्रफल 13.499 हैक्टर होगा।

मजरे टोलों को पृथक राजस्व ग्राम बनाये जाने के संबंध में आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त म0प्र0 ग्वालियर के पत्र कमांक 1195 / 11 भू.प्र.0 / मा.चि.शा. / म.टो. / 2012 दिनांक 14.06.2012 द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये है।

अ– मूल राजस्व ग्राम से मंजरे टोलों की दूरी लगभग 02 कि.मी. या अधिक होनी चाहिये ।

ब– पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम न हो तथा पृथक हुए उक्त ग्राम की आबादी 200 या अधिक होनी चाहिये ।

स– पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की चर्तुर सीमायें मूल ग्राम से एवं अन्य सीमावर्ती ग्रामो से मिलनी चाहिये । मजरे टोलों से पृथक बनाये जा रहे ग्राम की सीमाऐ मूल ग्राम कीं सीमाओं के अन्दर ही स्थित न रहें ।

तहसीलदार मुलताई द्वारा प्रेषित प्रस्ताव आयुक्त भू–अभिलेख एवं बदोबस्त म0प्र0 ग्वालियर द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप पाये जाने पर प्रस्ताव का परीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई द्वारा किया जाकर ग्राम डहुआ के टोला डहुआढाना को पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में विज्ञप्ति जारी कर उसका प्रकाशन अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के कार्यालय के नोटिस बोर्ड तहसीलदार मुलताई के कार्यालय के नोटिस बोर्ड ग्राम पंचायत डहुआ के नोटिस बोर्ड तथा डहुआ ढाना

2/4/2013

कलेक्टर
बैतूल

न्यायालय कलेक्टर बैतूल

में सार्वजनिक स्थल पर कराया जाकर आपात्तियां आमंत्रित की गई निर्धारित समयावधि में कोई प्राप्त नहीं हुई ।

उपरोक्त आधार पर ग्राम डहुआढाना तहसील मुलताई को म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां का उपयोग करते हुए आदेश दिनांक से पृथक राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है। नवीन ग्राम डहुआढाना में ग्राम डहुआ के खसरा नंबर 99 से 302/3 तक को नवीन ग्राम में समाहित किया जाता है। ग्राम डहुआढाना के उत्तर में पारबिरोली दक्षिण में डहुआ पूर्व दिशा में खैरवानी पश्चिम में डहुआ का क्षेत्र शामिल होगा । नवीन ग्राम डहुआढाना का अभिलेख म0प्र0 भू0–राजस्व संहिता 1959 की धारा 108 के अन्तर्गत पृथक से तैयार किया जावेगा ।

कलेक्टर,
बैतूल